16-8-19

तालिका हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जा... हुक्म की ता... में जारी हुए
16/8/19	वकील श्री विष्णु चन्द बंसल एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं रिपोर्ट अहलद का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर होकर तलबी रेस्पोन्डेन्ट जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 12/9/19 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	
12/9/19	वकील अपीलान्ट उपस्थित। जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते बहस व आदेश दिनांक 13.9.19 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	प्र०ह० विपक्षी प्रतिपक्षी (V.C. बघेल) रामविलास
13/9/19	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस उभय पक्ष सुनी गई। उभय पक्ष वकील का बहस के कथन है कि नामान्तकरण संख्या 340 दिनांक 17.1.2008 मृतक रामजीलाल पुत्र मिश्री जाति मीना नि० हरीपुरा का विरासत नामान्तकरण दर्ज किया गया है जिसमे अपीलान्ट हरिमोहन पुत्र रामजीलाल का नाम विरासत नामान्तकरण मे दर्ज होने से रह गया है। और रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 रामविलास पुत्र भैरोलाल का नाम रामजीलाल की विरासत नामान्तकरण मे गलत दर्ज हुआ है। अपीलान्ट का नाम	

नामान्तकरण मे दर्ज किया जावे एवं रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 रामगिलास का नाम नामान्तकरण से हटाया जावे।

विद्वान वकील उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजो राशन कार्ड, परिचय पत्र, आधार कार्ड आदि का अवलोकन किया गया जिसमे अपीलान्ट के पिता का नाम रामजीलाल होना व रेस्पोन्डेन्ट नं. 1 रामगिलास के पिता का नाम भैरो लाल होना अंकित है। वकील उभयपक्ष नामान्तकरण को निरस्त करने एवं नामान्तकरण की पुनः सुनवाई को तहसीलदार करौली को रिमाण्ड करने व पुनः नामान्तकरण दर्ज किये जाने पर सहमत है। इस संबंध मे रेस्पोन्डेन्ट ने अपना जवाब भी प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तकरण संख्या 340 दिनांक 17.1.2008 निरस्त किया जाता है। पत्रावली इस निर्देश के साथ पुनः सुनवाई को रिमाण्ड की जाती है कि मृतक रामजीलाल पुत्र मिश्री जाति मीना के वारिसान की जांच कर पुनः विधिवत गुणावगुण पर नामान्तकरण विरासत मृतक रामजीलाल दर्ज करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी